राजेन्द्र कुमार बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
15.07.2021	प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी क्रं.नं. 32/2021

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।

वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रकरण में अप्रार्थी नं. 1 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर की ओर से प्रकरण में सहमति प्रकट करते हुए मय अभिशंषा लिखित में दिये जाने से प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी नं. 1 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्रांक 706/रीडर/2021 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा लिखित में ग्राम सकराय के भूमि खसरा नम्बर 529 का सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2021 के मुताबिक किये जाने पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए मय अभिशंषा कर दिये जाने से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में किया है।

वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 529 रकबा 0.78 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सकराय पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी एंव इसकी माता कोयली देवी एंव बहन सुमन देवी के नाम से अंकित है। उक्त भूमि से अब अन्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का चीपलाटा के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। मौके पर कोई फसल काश्त नहीं होकर उक्त भूमि खाली है। प्रार्थी के पड़ौसी [illegible] आये दिन ही हैरान–परेशान करते रहते है [illegible] खुर्द–बुर्द करने एंव प्रार्थी की भूमि पर [illegible] रहते है जो काफी झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है। जो कहने–सुनने [illegible] मानने पर नहीं रहे है। वकील प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.07.2021 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.07.19 13:53:19 IST
Reason: SelfAttested

राजेन्द्र कुमार बनाम अधिकारी तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्र.स. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान व भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 706/रीडर/2021 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा पेश जवाब सहमति पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूं।	
	वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का चीपलाटा द्वारा दिनांक 01.07.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 529 रकबा 0.78 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सकराय पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/- रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/- रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/-रूपये कुल 2100/- रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावे तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का चीपलाटा द्वारा दिनांक 01.07.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	2108/रीडर 15/7/2021
	Signature Not Verified Digitally signed by Laxmi Kant Gupta Date: 2021.07.19 10:53:19 IST Reason: SelfAttested (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	
	यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 15.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	